

प्रेषक,

दिनांक 18-11-2020

मिथिलेश कुमार तिवारी

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश

संख्या 8, कौशाम्बी

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

कौशाम्बी

विषय - विधि परास्नातक (एलएल० एम०) की उपाधि की प्रविष्टि एवं शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी सी दिनांकित 13-05-2009 के अनुसार तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सन 2007 में विधि परास्नातक (एलएल० एम०) की उपाधि प्राप्त की है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर मेरी शैक्षणिक अर्हता में उक्त उपाधि दर्शित नहीं है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि मेरी शैक्षणिक अर्हता में विधि परास्नातक (एलएल० एम०) को भी सम्मिलित कराने की एवं शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी सी दिनांकित 13-05-2009 के अनुसार सेवा काल के आरम्भ से तीन वेतन वृद्धियां कराने की महती कृपा करें।

सादर प्रेषित

संलग्नक

भवदीय

उपाधि विधि परास्नातक

915/I

18-11-2020

दिनांक

संलग्नक

जिला न्यायाधीश

कौशाम्बी

18.11.2020

मिथिलेश कुमार तिवारी

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश

संख्या 8, कौशाम्बी



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

PO9770-091.01013109

संस्थापित FOUNDED 1916


श्री मिथिलेश कुमार तिवारी इति-नामा
विश्वविद्यालयस्यास्य २००७ तमे ईसवीयवर्षे परीक्षायां द्वितीय श्रेण्यां समुत्तीर्य
मास्टर ऑफ लॉज इत्युपाधिं प्राप्नोदिति प्रमाणयति।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मिथिलेश कुमार तिवारी
को इस विश्वविद्यालय की सन् २००७ ईसवी की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने
पर मास्टर ऑफ लॉज उपाधि प्रदान की गई ।

*This is to certify that Shri Mithilesh Kumar Tiwari
obtained the degree of Master of Laws in the examination of
2007 of this University and was placed in the Second Division.*

स्थान : वाराणसी
Place : Varanasi

दिनांक Dated : FEB, 26, 2010


कुलपति:
Vice-Chancellor